

Address SCO 21, Sector 12 : Faridabad-121007

Phones 0129-2292175, 2292179

Fax: 0129-2291860 E-Mail: fdo@bis.org.in web: http://www.bis.org.in

Faridabad Branch Office

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक: 12 जनवरी 2017

भारतीय मानक ब्यूरो का बोतल बन्द पेयजल पर नकली आई एस आई मुहर लगाने वाली फरीदाबाद फर्म पर छापा

भारतीय मानक ब्यूरो के फरीदाबाद शाखा कार्यालय के अधिकारियों ने हरियाणा पुलिस की मदद से मैं० अभय एन्टरप्राइसिज़, प्लॉट सं0 89-90, गुरूग्राम रोड, कृष्ण परमधाम मन्दिर के पीछे, बड़खल - फरीदाबाद पर भारतीय मानक ब्यूरो, फरीदाबाद के प्रमुख श्री सुनील कुमार के आदेशानुसार आज 12 जनवरी 2017 को छापा मारा । फर्म के मालिक का नाम श्री राजीव चौहान बताया गया है । छापा मारने वाली टीम का नेतृत्व श्री ए0 के0 पोपली, वैज्ञानिक सी ने किया । इस टीम के अन्य सदस्य श्री अमरजीत सिंह, वैज्ञानिक सी, श्री वसीम अकरम, वैज्ञानिक बी और हरियाणा पुलिस, बड़खल, फरीदाबाद के अधिकारी थे।

खोज और जब्ती आपरेशन के दौरान, 10 न0 20 लीटर के आईएसआई मार्क लगे जार और ब्रांड नाम 'एक्वालाइट' फर्म के परिसर में उपलब्ध थे । इसके अलावा भारी मात्रा में लगभग 20000 कैप स्लीव सील जिन पर आई एस आई मार्क और ब्रांड नाम 'एक्वालाइट' छपे हुए थे, फर्म के परिसर में पाये गये । इन सभी को आपरेशन के दौरान सील कर दिया गया है । यह देखा गया है कि कंपनी बिना वैध बीआईएस लाइसेंस के डिब्बाबंद पेयजल का उत्पाद कर रही है, जोकि गैर कानूनी है । फर्म व इसके मालिक के विरुद्ध भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के तहत कार्रवाई की जाएगी । इस प्रकार के अपराध के लिए एक वर्ष के कारावास या 50,000 / - रुपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं । डिब्बाबंद पेयजल पर एफएसएसएआई विनियम 2011 के अंतर्गत बीआईएस मानक मार्क का उपयोग अनिवार्य है ।

भारतीय मानक ब्यूरो के प्रवक्ता ने यह भी बताया कि इस तरह से बिना लाइसेंस के आई0 एस0 आई0 मार्क लगा कर जो भी कोई उत्पाद बना या बेच रहा है, उस पर भी जल्दी ही उचित कार्यवाही की जाएगी । भारतीय मानक ब्यूरो के प्रवक्ता ने यह भी सूचित किया कि निर्माताओं द्वारा विभिन्न उत्पादों पर आई एस आई मुहर का गलत उपयोग करने, बेचने और उत्पादों के इकटठा करने वालों पर छापा मारा जाएगा और देश भर में छापे मारने की योजना है । अधिकारी ने आम जनता से आई एस आई मुहर के किसी भी दुरूपयोग की सूचना (जो उनके नोटिस में आती है) निम्नलिखित पते पर देने की अपील की ।

श्री ए0 के0 पोपली, वैज्ञानिक सी एवं पी0 जी0 ओ0, भारतीय मानक ब्यूरो, एस0 सी ओ0 21, सैक्टर 12, फरीदाबाद – 121007 दूरआष: 0129-2292173, 0129-2292175

मिल्लव्यां ।२०१२०१७ (सुनील कुमार) वैज्ञानिक एफ एवं प्रमुख



भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

Faridabad Branch Office

Faridabad-121007

Address: SCO 21, Sector 12

 Phones:
 0129-2292175, 2292179

 Fax:
 0129-2291860

 E-Mail:
 fdo@bis.org.in

 web:
 http://www.bis.org.in

PRESS RELEASE

12 Jan. 2017

BIS Raids Faridabad firm manufacturing Packaged Drinking Water (ISI marked) without valid BIS licence

Bureau of Indian Standards (BIS), Faridabad Branch Officers conducted a raid today on 12 Jan. 2017 with the help of police from Haryana Police at the premises of M/s Abhay Enterprises, Plot No. 89-90, Gurugram Road, Behind Krishna Paramdham Mandir, Badkhal – Faridabad as directed by Head of the BIS, Faridabad Branch Office Shri Sunil Kumar. As informed during the raid, the name of the owner of the firm is Shri Rajeev Chauhan. The above raid was conducted by a team under the leadership of Shri A.K. Popli, Scientist C. Other members of the team were Shri Amarjit Singh, Scientist C, Shri Wasim Akram, Scientist B from BIS Faridabad and the officers of Haryana Police, Badkhal, Faridabad.

During the search & seizure operation, 10 jars of 20 litre with ISI mark and brand name 'Aqualite' were available in the premises of the firm. Also, a large number of cap sleeve seals approx. 20000 with ISI mark and brand name 'Aqualite' were available in the premises. All these materials have been sealed by the team. It was observed that firm was manufacturing the Packaged Drinking Water with ISI mark without valid BIS licence which is illegal. The action is being initiated against the owner of the firm under BIS Act, 1986. The penalty for this type of offence is one year imprisonment or Rs. 50,000/- or both. The use of BIS Standard Mark on Packaged drinking water is mandatory under the FSSAI Regulations, 2011.

It is informed by the BIS spokesperson that the action shall be taken against the manufacturers, sellers and stockists who are using ISI mark on Packaged Drinking Water Product without valid BIS licence. Other manufacturers who are selling and storing the products with duplicate BIS Standard mark without BIS licence shall also be raided and there is a plan of such raids in the jurisdiction of Faridabad Branch Office of BIS. It is appealed to the general public to give information regarding any misuse of ISI mark noticed at the following address:

Shri A.K. Popli, Scientist C & P.G.O., Bureau of Indian Standards, SCO 21, Sector 12, Faridabad – 121007 Phone: 0129-2292173, 0129-2292175

Querand 1117

Tu dilbagh: 1201 2017 (Sunil Kumar) Scientist F & Head